न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या :13 / 205

सत्यनारायण आत्मज श्री जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ललित शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय **दिनांक: 24.01.2018**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीअपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 4456 रकबा 15 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नही करे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2013 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2013 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अपीलान्ट को कई बार आवाजे लगवाई परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए रेस्पोडेन्ट की ओर से

पैरोकार सरकार उपस्थित होने से उक्त अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जा रहा है । हमने रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार की बहस सुनी ।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलान्ट को किसी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा एक अतिक्रमी की हैसियत से है जिससे वह बेदखली का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2013 बहाल रखा जावे ।

7. हमने पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा बताते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वाद पेश किया था । प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर साबित है कि वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है । अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर अपना कब्जा होना बताते हुए खातेदारी घोषणा चाही है । हम अपीलान्ट के उक्त कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने से कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । यदि यह मान भी लिया जावे कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत से है उससे उसे किसी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।

8. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गुणावगुण के आधार पर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2013बहाल रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 13 / 205

सत्यनारायण आत्मज श्री जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिक्री दिनांक 26.06.2013 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनव जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्या: 106 / दावा / 2012

सत्यनारायण आत्मज श्री जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

—व

बनाम

भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

—प्रति

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2013 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 24.01.2017 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री ललित शर्मा एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट गुणावगुण के आधार पर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2013बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 24.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा